न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी–खीरी।

उपस्थित– रजत प्रकाश सोन (उ०प्र० न्यायिक सेवा) (जे०ओ० कोड–UP 3725)

CNR No.–UPLP 1200 0024 2025

फौजदारी मुकदमा संख्या–07/2025

कम्प्यूटर पंजीकरण सं०–06/2025

सरकार

बनाम

अमन पाण्डेय उम्र लगभग 21 वर्ष पुत्र रूपेश कुमार निवासी मोहल्ला विजयनगर कस्बा बरबर थाना पसगवां जिला खीरी।

मु०अ०सं०–401/2024
धारा–115(2), 351(3), 352 बी०एन०एस०
थाना–पसगवां, जिला–खीरी।

अभियोजन की ओर से ..... विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्री अतुल कुमार मिश्रा।
बचावपक्ष की ओर से ..... विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिदीप त्रिवेदी।

क्र०सं०	दिनांक	घटना/कार्यवाही
1.	17.09.2024	घटना
2.	20.09.2024	प्रथम सूचना रिपोर्ट
3.	03.01.2025	आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया
4.	17.03.2026	अभियुक्त पर आरोप विरचित किया गया
5.	24.06.2026	बयान अभियुक्त अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित
6.	06.07.2026	अंतिम बहस
7.	20.07.2026	निर्णय

निर्णय

पुलिस थाना–पसगवां, जिला–खीरी द्वारा मु०अ०सं०–401/2024 अन्तर्गत धारा–115(2), 351(3), 352 बी०एन०एस० के अधीन अभियुक्त अमन पाण्डेय के विरुद्ध आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि "प्रार्थी नवीन कुमार मिश्रा पुत्र ओमप्रकाश मिश्रा नि०ग्राम मो० शास्त्रीनगर बरबर थाना पसगवा जनपद खीरी का रहने वाला हूँ। मो० विजयनगर बरबर का रहने वाला जिसका नाम अमन पाण्डेय पुत्र रूपेश आये दिन मेरे घर के आस–पास बना रहता है। दिनांक 17.09.2024 को शाम करीब 04:00 बजे प्रार्थी ने जब इसका विरोध किया तो उपरोक्त विपक्षी मुझे गाली गलौज करने लगे और मेरे साथ हाथापाई करने लगा और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी।"

विवेचक द्वारा घटना की विवेचना कर गवाहन के बयानात अंकित किए गए एवं घटनास्थल का निरीक्षण कर घटनास्थल का नक्शा–नजरी तैयार किया गया तथा बाद विवेचना पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त अमन पाण्डेय के विरुद्ध धारा–115(2), 351(3), 352 बी०एन०एस० के अधीन आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

उक्त आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया एंव अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त न्यायालय में हाजिर आये एवं उनके द्वारा अपनी जमानत कराई गयी।

अभियुक्त को विधिनुसार अन्तर्गत धारा–207 दं०प्र०सं० के अधीन अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयीं।

न्यायालय द्वारा दिनांक 17.03.2026 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया तथा अपने विचारण की मांग की।

अभियोजन के साक्ष्य के उपरान्त पत्रावली वास्ते बयान अभियुक्त अन्तर्गत धारा–313 दं० प्र०सं० में अग्रसारित की गयी।

दिनांक 24.06.2026 को अभियुक्त अमन पाण्डेय का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्त द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० में कथन किया गया है कि उसने कुछ नहीं किया। गवाहान के बयान के संबंध में, कुछ नहीं कहना, का कथन किया है। मुकदमा गलत चलना बताया है। सफाई साक्ष्य देने से इनकार करते हुए कथन किया है कि उसे और कुछ नहीं कहना है।

तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

न्यायालय द्वारा अभियोजन एवं बचाव पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया।

अभियोजन द्वारा उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं बहस में किये गये तर्कों के परिपेक्ष्य में न्यायालय को अब यह अवधारित करना है कि क्या अभियोजन, अभियुक्त के विरूद्ध धारा–115(2), 351(3), 352 बी०एन०एस० के तहत लगाये गये आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं, क्योंकि साक्ष्य विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पर अपने वाद के तथ्यों को साबित करने का प्रथमतः भार होता है। इसी क्रम में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का सम्यक् विश्लेषण विधायिका द्वारा धारा–115(2), 351(3), 352 बी०एन०एस० में दिये गये प्रावधानों के परिपेक्ष्य में किया जाना न्यायोचित होगा।

धारा–115(2) बी०एन०एस०–स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड– उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 122(1) बी०एन०एस० में उपबन्ध में जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जायेगा।

धारा–352 बी०एन०एस०–लोकशांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान– जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए, प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोकशांति या कोई

अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा–351(3) बी०एन०एस०–आपराधिक अभित्रास के लिए दण्ड– जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से यह दोनों से दण्डित किया जाएगा।

यदि धन की मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की हो तथा यदि धमकी, मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की या अग्नि द्वारा किसी संपत्ति का नाश कारित करने की या मृत्युदण्ड से या आजीवन कारावास से या 07 वर्ष की अवधि तक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने की या किसी स्त्री पर अस्तित्व का लांछन की हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 07 वर्ष से कम की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

उक्त प्रावधानों में निहित आवश्यक तत्वों के संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य इस प्रकार है।

उपरोक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से केवल 02 गवाहान को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षियों के अतिरिक्त अभियोजन द्वारा अन्य कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया है। 02 गवाह इस प्रकार है–

क्रम सं०	अभियोजन साक्षी सं०	साक्षी का नाम	विवरण
1.	पी०डब्लू०–1	नवीन कुमार	वादी/शिकायतकर्ता
2.	पी०डब्लू०–2	देवेश कुमार	अन्य साक्षी

दास्तावेजी साक्ष्य के रूप में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य इस प्रकार हैं–

क्र०सं०	प्रदर्श सं०	प्रदर्श का विवरण	प्रदर्श जिसके द्वारा साबित किया गया
1.		आरोप पत्र	
2.		प्रथम सूचना रिपोर्ट	
3.	प्रदर्श क–1	मूल तहरीर	पी०डब्लू०–1 वादी नवीन कुमार मिश्रा
4.		नक्शा–नजरी	
5.		कायमी जी०डी०	
6.		केस डायरी	

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा नवीन कुमार मिश्रा ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह अभिकथन किया गया है कि "घटना वर्ष 2024 की है। मुल्जिम अमन पाण्डेय से किसी मामूली बात को लेकर मेरी कहा सुनी हो गयी थी। मुल्जिम ने मेरे साथ कोई मारपीट व गाली गलौज नहीं की थी, न ही जान से मारने की धमकी दी थी। कहासुनी के सम्बन्ध में थाने पर एक लिखित तहरीर दे दी थी। संलग्न पत्रावली तहरीर पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला

गया। दरोगा जी ने घटना के सम्बन्ध में मुझसे कोई पूछताछ नहीं की थी।" इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया व अभियोजन को जिरह की अनुमति दी गयी।

अभियोजन द्वारा जिरह किये जाने पर साक्षी पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा नवीन कुमार मिश्रा ने अपनी जिरह में कथन किया है कि गवाह ने धारा 161 सी०आर०पी०सी० के बयान से इन्कार किया और बताया कि मुल्जिम मेरे गांव का है। मेरा मुल्जिम से समझौता हो गया है। मैं मुल्जिम के खिलाफ कोई न कार्यवाही न चाहता हूँ। मुल्जिम से किसी मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गयी थी। मुल्जिम ने हाथापाई नहीं की थी। कुछ गांव वालों के कहने में आकर मैंने थाने पर शिकायत कर दी थी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बीच में में आकर हम लोगों को आपस में समझौता करा दिया है। किन लोगों ने थाने पर शिकायत करने के लिए मुझे कहा था यह मुझे ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि समझौता हो जाने के कारण मैं आज न्यायालय में सच बात नहीं बता रहा हूँ। मैं अपना बयान बिना किसी जोर दबाव के आज न्यायालय में स्वेच्छा से दे रहा हूँ।"

इसी प्रकार अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–2 देवेश कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह अभिकथन किया है कि "घटना लगभग ½–2 साल पहले की है। शाम के लगभग 4 बजे की बात है। घटना के समय मैं मौके पर मौजूद नहीं था, न ही मेरे सामने कोई घटना घटित हुई थी, न ही अभियुक्त अमन पाण्डेय ने नवीन कुमार मिश्रा को गंदी–गंदी गालियां देते हुए मारा पीटा था, न ही जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के सम्बन्ध में दरोगाजी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।" इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया व अभियोजन को जिरह की अनुमति दी गयी।

अभियोजन द्वारा जिरह किए जाने पर साक्षी पी०डब्लू०–2 देवेश कुमार ने अपनी जिरह में कथन किया है कि गवाह को धारा 161 सी०आर०पी०सी० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि ऐसा कोई बयान दरोगाजी को मैंने नहीं दिया था, कैसे लिख लिया, मैं नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है, लेकिन यह कहना गलत है कि सुलह–समझौता हो जाने के कारण या अभियुक्त के भय लालच या दबाव में आकर झूठी गवाही दे रहा हूँ।

दाण्डिक न्याय शास्त्र का पूर्णतया सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अभियुक्त के विरुद्ध अपराध के आवश्यक तथ्यों को विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है और यदि अभियोजन अपने इस दायित्व में विफल रहता है तो इसका लाभ अभियुक्त को अवश्य मिलना चाहिए।

न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि–

1. क्या दिनांक 17.09.2024 को समय करीब 16:00 बजे शाम, स्थान बहद कस्बा बरबर, थाना–पसगवां, जिला–खीरी में अभियुक्त अमन पाण्डेय द्वारा वादी मुकदमा नवीन कुमार मिश्रा को मार–पीटकर स्वेच्छया उपहति कारित किया गया था अथवा नहीं।
2. क्या उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया था अथवा नहीं।
3. क्या उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा को गाली गलौज कर साशय अपमानित किया गया था अथवा नहीं।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का विष्लेषण निम्न प्रकार से किया जा रहा है।

<u>आरोप अन्तर्गत धारा– 115(2), 351(3), 352 बी०एन०एस०</u>

उपरोक्त आरोपों के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि "प्रार्थी नवीन कुमार मिश्रा पुत्र ओमप्रकाश मिश्रा नि०ग्राम मो० शास्त्रीनगर बरबर थाना पसगवा जनपद खीरी का रहने वाला हूँ। मो० विजयनगर बरबर का रहने वाला जिसका नाम अमन पाण्डेय पुत्र रूपेश आये दिन मेरे घर के आस–पास बना रहता है। दिनांक 17.09.2024 को शाम करीब 04:00 बजे प्रार्थी ने जब इसका विरोध किया तो उपरोक्त विपक्षी मुझे गाली गलौज करने लगे और मेरे साथ हाथापाई करने लगा और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी।"

अभियोजन कथनाक के संबंध में साक्षी **पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा नवीन कुमार मिश्रा** ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन नहीं किया तथा **प्रदर्श क–1** को साबित किया। अभियोजन द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह ने धारा 161 सी०आर०पी०सी० के बयान से इन्कार किया और बताया कि मुल्जिम मेरे गांव का है। मेरा मुल्जिम से समझौता हो गया है। मैं मुल्जिम के खिलाफ कोई न कार्यवाही न चाहता हूँ। मुल्जिम से किसी मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गयी थी। मुल्जिम ने हाथापाई नहीं की थी। कुछ गांव वालों के कहने में आकर मैंने थाने पर शिकायत कर दी थी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बीच में में आकर हम लोगों को आपस में समझौता करा दिया है। किन लोगों ने थाने पर शिकायत करने के लिए मुझे कहा था यह मुझे ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि समझौता हो जाने के कारण मैं आज न्यायालय में सच बात नहीं बता रहा हूँ। मैं अपना बयान बिना किसी जोर दबाव के आज न्यायालय में स्वेच्छा से दे रहा हूँ। इस प्रकार साक्षी पी०डब्लू०–1 नवीन कुमार मिश्रा के साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप साबित नहीं हो रहे हैं।

इसी प्रकार अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–2 देवेश कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह को धारा 161 सी०आर०पी०सी० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि ऐसा कोई बयान दरोगाजी को मैंने नहीं दिया था, कैसे लिख लिया, मैं नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है, लेकिन यह कहना गलत है कि सुलह–समझौता हो जाने के कारण या अभियुक्त के भय लालच या दबाव में आकर झूठी गवाही दे रहा हूँ। इस प्रकार पी०डब्लू०–2 देवेश कुमार के साक्ष्य से भी अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप साबित नहीं हो रहे हैं।

अभियोजन द्वारा उपरोक्त मामले में आरोपपत्र, नक्शा नजरी, कायमी जी०डी० आदि को भी किसी भी मौखिक साक्षी द्वारा साबित नहीं किया गया। यद्यपि बचाव पक्ष ने अभियोजन प्रपत्रों की मौलिक सत्यता को स्वीकार किया तथा तथ्यों से इन्कार किया है, परन्तु केवल इसी आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि अभियोजन, अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त एवं संदेह से परे साबित न करे।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के विश्लेषण से न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को अभियोजन युक्ति–युक्त एवं संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। घटना संदेहास्पद प्रतीत होती है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

अभियुक्त अमन पाण्डेय को मु०अ०सं०–401/2024 में लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–115(2), 351(3), 352 बी०एन०एस० से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर हैं। उसके पूर्व में दाखिल जमानतनामें निरस्त कर जामिनदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 481 बी०एन०एस०एस० (437ए दं०प्र०सं०) के अनुपालन में मु० 20,000/–रूपये के निजी बंधपत्र आज ही दाखिल करें तथा समान धनराशि की एक प्रतिभू न्यायालय में दाखिल करें।

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा नवीन कुमार मिश्रा पुत्र ओमप्रकाश मिश्रा नि०ग्राम मो० शास्त्रीनगर बरबर, थाना–पसगवां, जनपद–खीरी द्वारा न्यायालय के समक्ष जान–बूझकर तथ्यों को छिपाते हुए मिथ्या साक्ष्य देने हेतु धारा–383 बी०एन०एस०एस० के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है।

कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह पी०डब्लू०–1 नवीन कुमार मिश्रा के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज करें।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 20.07.2026

(रजत प्रकाश सोन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी, खीरी।
(JO Code– UP 3725)

उपरोक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 20.07.2026

(रजत प्रकाश सोन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी, खीरी।
(JO Code– UP 3725)